निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 21/2020 (रसद अपील)

हरेन्द्र शर्मा पुत्र श्री अरविन्द शर्मा प्राधिकार धारक उचित मूल्य दुकान 521, जवाहर नगर, जिला जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम, जयपुर।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत खण्ड 22 (1) (क) राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्ध निर्णय/आदेश दिनांक 04.06.2020 जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम प्रकरण संख्या 502/2019 जिसके द्वारा अपीलार्थी को उचित मूल्य की दुकान संख्या 521 प्राधिकार पत्र संख्या 1011/05 तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि जब्त किये जाने का आदेश पारित किया गया।

उपस्थित :-

1. श्री के॰ डी॰ शर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. पैरोकार रसद प्रत्यर्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 01.08.2022

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के आदेश दिनांक 04.06.2020 जिसके द्वारा अपीलार्थी मैसर्स हरेन्द्र शर्मा प्राधिकार धारक, उचित मूल्य दुकान संख्या 521, गोल मार्केट, जवाहर नगर, जिला जयपुर को प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लघंन करने का दोषी मानते हुये प्राधिकार पत्र निरस्त कर समस्त धरोहर राशि जब्त किये जाने के पारित आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड तलब किया गया है। प्रत्यर्थी की ओर पैरोकार रसद उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थी प्राधिकृत उचित मूल्य दुकानदार दुकान संख्या 521 का प्राधिकारधारक है, जिसे राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 (जिसे एतद् पश्चात आदेश 1976 कहा गया है) के प्रावधानो के तहत प्राधिकार पत्र मिला हुआ है। दिनांक 11.02.2019 को अपीलार्थी ने जिला रसद अधिकारी प्रथम को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सूचित किया कि "निवेदन है कि मेरी दुकान 521, मैसर्स हरेन्दू शर्मा के नाम से गोल मार्केट, जवाहर

जिला कलक्टर
जयपुर

नगर, जयपुर में स्थित है, को दुकान मालिक द्वारा हटाने से दुकान खाली करवा ली गई है। लेकिन मुझे अभी दूसरी दुकान नहीं मिली है । अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि उक्त सैक्टर में दुकान मिलते ही विभाग को सूचित करवा देगा।" दिनांक 07.07.2019 के एकतरफा आदेश में जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा अपीलार्थी का उक्त उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 09.02.2019 को जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के यहां उपस्थित होकर अपना स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण नोटिस का जवाब पेश करने के लिये एक माह का समय मांगा गया जो स्वीकार कर लिया गया। दिनांक 09.01.2020 एवं 05.02.2020 को पीठासीन अधिकारी के ना होने से मामले में मात्र आगे की तारीख पेशी दी गई। दिनांक 20.03.2020 को कोरोना वायरस मुकाबले के लिये राज्य मे शटडाउन का फैसला राजस्थान सरकार द्वारा लिया गया जो दिनांक 31.03.2020 के लिये था। इसलिए दिनांक 30.03.2020 को अपीलार्थी जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के यहा उपस्थित नहीं हो सका। राजस्थान सरकार के आदशों के अनुसार दिनांक 24.05.2020 व 04.06.2020 को सरकारी कार्यालय में आम आदमी के प्रवेश पर प्रतिबन्ध था। दिनांक 04.06.2020 को एक तरफा निर्णय जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम ने अपीलार्थी को उचित मूल्य की दुकान का प्राधिकार पत्र निरस्त कर सम्पूर्ण प्रतिभूमि राशि जप्त करने के आदेश पारित किये तथा उसकी सूचना नियमानुसार अपीलार्थी को नहीं दी गई। दिनांक 17.07.2020 को अपीलार्थी अपने उक्त दुकान को पुनः चालू कराने का प्रार्थना पत्र देकर गया था। विचाराधीन प्रकरण की तारीख पेशी तलाश करने हेतु कार्यालय में पहुँचा तो जिला रसद अधिकारी जयपुर ने एक तरफा निर्णय दिनांक 04.06.2020 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। दिनांक 17.07.2020 को उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया प्रतिलिपि प्राप्त कर दिनांक 28.07.2020 को प्राप्त होने पर अपील एक माह की समयावधि के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व खण्ड 8 व 9 की पालना नहीं की गई। अपीलार्थी को ना जवाब नोटिस प्राप्त किया ना कोई जांच की, ना ही कोई सुनवाई का अवसर दिया गया। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम ने अपीलाधीन आदेश में यह गलत अभिव्यक्त किया कि उचित मूल्य दुकानदार को अवकाश दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इस संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कमलाप्रसाद पाण्डे बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य 2010 (1) ए.आर.सी. 351 में स्पष्ट किया है कि उचित मूल्य दुकानदार को भी अवकाश दिया जा सकता है। अपीलार्थी ने दिनांक 17.07.2020 को जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के यहां आवेदन पेश किया था कि उसने दुकान किराये पर ले रखी है, दुकान बहाल होने पर किरायेनामा व नक्शा श्रीमान के यहां प्रस्तुत कर दिया जावेगा, किन्तु जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम ने अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र लेने से इन्कार कर दिया। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को आपेक्षित निर्णय व आदेश दिनांक 04.06.2020 निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र व प्रतिभूति राशि बहाल किये जाने के आदेश पारित किये जावे तथा प्राधिकार पत्र कार्यवाही करने की स्वीकृति फरमावे।

कलक्टर जयपुर जिला

जिला कलक्टर
जयपुर

5. प्रत्यर्थी की ओर से पैरोकार रसद ने अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत कि की अपीलार्थी को नोटिस तामील होने व जबाब हेतु अन्तिम अवसर देने के उपरान्त भी डीलर द्वारा दुकान संचालन के बारे में कोई प्रार्थना पत्र कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलाथी दुकानदार द्वारा उपभोक्ता सप्ताह में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में आवंटित राशन सामग्री का उठाव व वितरण नहीं करके डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) 1976 की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। जिससे अपीलार्थी की धरोहर राशि जब्त सरकार करते हुये डीलर का प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

5. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

6. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा दिनांक 04.06.2020 को एक पक्षीय अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलार्थी डीलर की धरोहर राशि जब्त करते हुये उसका प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने के आदेश दिये है। जबकि दिनांक 20.03.2020 से कोरोना महामारी के कारण लॉक डाउन लगा हुआ था तथा राज्य सरकार व माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस अविधि में किसी भी पक्षकार के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित नहीं किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे। अपीलार्थी ने कोरोना महामारी की वजह से सुनवाई/जबाब के लिए उपस्थित नहीं होना बताया है, जिससे हम सहमत है। फलस्वरूप अपील स्वीकार की जाती है।

7. जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व आदेश दिनांक 04.06.2020 को निरस्त किया जाता है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर दिया जाकर नये सिरे से आदेश पारित करे। तब तक अपीलार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र व धरोहर राशि बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा मय मिसल मातहत जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दपतर हो ।

9. निर्णय आज दिनांक **01.08.2022** को सरे इजलास सुना गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर